न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1887/2017

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मानाराम पुत्र भबूतराम 2. गुमानराम पुत्र भबूतराम जातियान– गुर्जर, निवासीगण–निम्बेटी(रास) तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. ।		1. हरदेव पुत्र भंवरूराम जी फौत के का.मु. 1/1 हड़मान पुत्र हरदेव 1/2 मोरकी पत्नी हरदेव जातियान– गुर्जर, निवासीगण–निम्बेटी रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.। 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली राज.

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 04/12/2017

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी,अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 20/02/2020

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का रास द्वितीय, तहसील– जैतारण, जिला–पाली में सायलान की पैतृक एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जो खसरा नंबर 2699 रकबा 16–02 बीघा किस्म चाही चारम की आई हुई है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि सायलान के दादा लादू वल्द गोदा की थी, अर्थात उक्त विवादित आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। जो खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 में लादू वल्द गोदा 1/2 हिस्सा वर्णित है। अर्थात विवादित आराजी जो ठिकाना रास की थी, एवं उस पर काश्त सायलान के दादा लादू वल्द गोदा का था एवं उसी काश्त के आधार पर सायलान के दादा लादू वल्द गोदा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे। जो खतौनी बंदोबस्त में 1/2 हिस्सा वर्णित है, जिससे यह साबित है एवं उक्त विवादित आराजी में सायलान के हिस्से को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए वादपत्र में वर्णित वंशावली के अनुसार वादग्रस्त आराजी में सायलान का 1/2 हिस्सा है। और

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

उक्त हिस्सा जो खतौनी बंदोबस्त से स्पष्ट है। सायलान के दादा लादू जी जो कि अनपढ व्यक्ति थे, एवं आगामी जमाबंदी 2018 से 2021 बनाते समय विवादित आराजी में 1/2 हिस्से में ठिकाना रास के साथ लादू वल्द गोदा के नाम का इन्द्राज एवं शेष 1/2 हिस्से में उदा वल्द सादूल एवं घीसा वल्द गोद का इन्द्राज कर दिया। जिसमें उदा वल्द सादूल का 1/2 हिस्सा का इन्द्राज सही था। परन्तु घीसा वल्द गोदा का इन्द्राज इस जमाबंदी में गलत रूप से कर दिया एवं आगामी जमाबंदी संवत 2020 से 2023 बनाते समय तत्कालीन आर.आई. व पटवारी ने घीसा वल्द गोदा का फौतेदगी म्युटेशन पारित कर भंवरू वल्द घीसा के नाम का इन्द्राज कर दिया एवं सायलान के दादा पिता का नाम पूर्णतया राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया जो बिना किसी आदेश से हटाया गया। जबकि भंवरू वल्द घीसा एवं घीसा वल्द गोदा का इस आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। घीसा वल्द गोदा, लादू वल्द गोदा दोनों में जों गोदा नाम के व्यक्ति थे, वह अलग अलग थे, परन्तु उक्त आराजी को हड़प करने की नियत से घीसा वल्द गोदा ने अपना नाम गलत रूप से इन्द्राज करवा दिया। इसलिए संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में जो भंवरू वल्द घीसा का 1/2 वां हिस्सा इन्द्राज है वह सायलान के दादा पिता का नाम हटाकर इन्द्राज किया गया। जो गैर कानूनी रूप से किया गया है। जबकि उक्त आराजी में भंवरू वल्द घीसा का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। विवादित आराजी में मौके पर हमेशा लादू वल्द गोदा व उसके बाद भबूत पुत्र लादू एवं उसके बाद सायलान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 से स्पष्ट है। जिसमें लादू वल्द गोदा के द्वारा काश्त करना अंकित किया गया है। जिससे भी यह साबित है कि उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। गैरसायलान का जो इस विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में में नाम इन्द्राज हुआ है वह गोदा नाम का व्यक्ति दुसरा था एवं उसने लादू वल्द गोदा के वारिसान होना बताकर के अपना नाम इस आराजी में इन्द्राज करवा दिया। जबकि लादू वल्द गोदा अलग व्यक्ति है एवं घीसा वल्द गोदा अलग व्यक्ति है। जो काफी दूर है एवं आपस में कोई सगे सम्बन्धी व रिश्तेदार भी नहीं है एवं इसी अनुरूप फिर आगे से आगे फौतेदगी म्युटेशन से उक्त आराजी आगे गैरसायलान के नाम इन्द्राज हो गई जो कि रोंग एन्ट्री एवं विधिक रूप से गलत है तथा गैरसायलान का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। विवादित आराजी जो कि सायलान की पैतृक पुश्तैनी आराजी है जो खतौनी बंदोबस्त से स्पष्ट है लेकिन तत्कालीन आर.आई. पटवारी ने बिना किसी आदेश से अपनी मनमर्जी से गैरसायलान के पूर्वजों का नाम इन्द्राज कर दिया जो कि पूर्णतया गलत है। क्योंकि गैरसायलान का इस आराजी से कोई सरोकार नहीं है। एवं न ही उनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा है एवं गैरसायलान एक मात्र राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज होने से उक्त आराजी को आगे से आगे रहन, बेचान, वसीयत व हस्तान्तरण करना चाहते हैं एवं सायलान को मोके से बेदखल करना चाहते है जबकि गैरसायलान को ऐसा गैर कानूनी कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी अपनी हठधर्मिता से अवैधानिक कार्य करने पर आमादा है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

यदि अपने अवैधानिक कृत्यों में गैरसायलान सफल हो जाते है तो सायलान हमेशा के लिए अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। सायलान का उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है जो 1/2 हिस्सा हरदेव पुत्र भंवरू के स्थान पर है। इसलिए विवादित आराजी में हरदेव पुत्र भंवरू के स्थान पर है। इसलिए विवादित आराजी में हरदेव पुत्र भंवरू का नाम हटाकर सायलान को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस बाबत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर प्रथमदृष्टतया मामला एवं सुविधा का संतुलन बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है तथा मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर यह गैरसायलान उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन, बेचान, बक्शीश व अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरूद्व गैरसायलान के पेश है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरूद्व गैरसायलान के इस आशय की जारी फरमावे कि सरहद मौजा रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय में वर्णित खसरा नंबर 2629 रकबा 16-02 बीघा किस्म चाही चारम में गैरसायलान उक्त आराजी को किसी अन्य रहन, बैचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने एवं सायलान माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार व परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलदांजी, बाधा अड़चन पैदा नहीं करे व मौके पर कोई खुर्द बुर्द नहीं करे, ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरूद्व गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पेश किया, जो सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 1/1 हड़मान पुत्र हरदेव, प्रतिवादीगण संख्या 1/2 मोरकी पत्नी हरदेव ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान जवाब देहन्दागण नामंजूर करते है। सरहद मौजा रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला-पाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2629 रकबा 17-02 बीघा किस्म चाही चारम की भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी कब्जासुदा आई हुई होने के कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान जवाब देहन्दागण नामंजूर करते है। जबकि उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2629 रकबा 17-02

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

बीघा की भूमि में सायलान व उनके पिता/प्रपिता का कोई कब्जा व हक अधिकार न कभी रहा है न ही वर्तमान में है। वास्तविकता में सरहद मौज रास द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2629 रकबा 17-02 बीघा किस्म चाही चारम भूमि गैरसायलान जवाब देहन्दागण की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर बतौर खातेदार काश्तकार के जवाब देहन्दागण अपने पिता/प्रपिता के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में भी जवाब देहन्दागण व अन्य हिस्सेदारों के नाम से दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में जवाबन्दी खतौनी की प्रमाणित फोटो प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान जवाब देहन्दागण नामंजूर करते है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी सायलान के दादा लादू वल्द गोदा की होने के कथन सायलान ने सरासर झूठे मनगढत आयत किये गये है। वक्त सेटलमेट के दौरान वादग्रस्त कृषि भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार घीसा उर्फ लादु वल्द गोदा गुर्जर निम्बेटी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ था। तथा शेष 1/2 हिस्सा खुदकाश्त के रूप में दर्ज हुआ था। जिसमें सहवन से गैरसायलान जवाब देहन्दागण के दादा घीसा उर्फ लादु की बजाय केवल लादु ही दर्ज हुआ था। इस प्रकार से वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से ही इस वादग्रस्त भूमि पर उदा पुत्र सदूल व घीसा उर्फ लादु पुत्र गोदा जाति गुर्जर निवासी ढाणी निम्बेटी बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज थे व काश्त करते आ रहे थे। तत्पश्चात इस पर बाद जांच राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत लगातार खुदकाश्त/कब्जा काश्त के आधार पर उदा पुत्र सदुल का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया शेष 1/2 हिस्सा घीसा उर्फ लादु पुत्र गोदा गुर्जर ढाणी निम्बेटी रास के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 162/08.06.1962 को तत्कालीन सरपंच पन्नालाल जोशी, चैनसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, रास, श्री जुगराज प. रास के द्वारा पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी खतौनी संवत 2018-2021 में भी गैरसायलान जवाब देहन्दागण के पिता/प्रपिता घीसा वल्द गोदा एवं उदा पुत्र सदुल का 1/2-1/2 हिस्से की भूमि दर्ज हुई। इस प्रकार से इस वादपत्र में वर्णित भूमि पर घीसा वल्द गोदा बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज थे तत्पश्चात घीसा वल्द गोदा के फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि गैरसायलान जवाब देहन्दागण के पूर्वज भंवरू पुत्र घीसा के नाम दर्ज हुई थी। तत्पश्चात भंवरू वल्द घीसा के देहानत होने जरिये नामान्तरकरण संख्या 384/20.05.1999 को गैरसायल के पिता/पति हरदेव पुत्र भंवरू गुर्जर के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी संवत 2053-2056 में अंकित है। इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि में से 01-00 बीघा भूमि बाला वल्द उदा एवं हरदेव पुत्र भंवरू ने अपने अपने हक हिस्से की भूमि में ग्राम पंचायत रास को राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला के लिये जरिये दानपत्र के दान दी गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

385/21.07.1999 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 384, 385 की प्रमाणित फोटो प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिस जवाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। इस प्रकार से इस वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि पर गैरसायलान अपने परदादा/दादा/पिता यानि पूर्वजों के समय से आज दिन तक बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व 1/2 हिस्से की भूमि पर उदा पुत्र सादुल के वारिसान/कायम मुकामान ओगड़राम, पांचाराम पिसरान बालाराम, सुगनीदेवी पत्नी बालाराम बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि में सायलान का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है सायलान ने केवल जमीन को हड़पने की नियत से लादू वल्द गोदा का उतराधिकारी होना बताकर वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि लादू वल्द गोदा का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार से घीसा उर्फ लादु पुत्र गोदा के स्थान पर केवल लादु वल्द गोदा की एक रोंग एन्ट्री होने मात्र से सायलान ने यह वादपत्र पेश किया है। जबकि इस वादग्रस्त भूमि के बाबत बाद जांच गैरसायलान के पूर्वज घीसा उर्फ लादु वल्द गोदा एवं उदा वल्द सदुल के नाम धारा 19 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये है। इस प्रकार इस पद में वर्णित वंशावली पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जो अस्वीकार है लादू वल्द गोदा या उसके पुत्र भबूतराम अथवा सायलान का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं रहा है सायला उक्त भूमि से पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है। इस प्रकार से सायलान को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा पद गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायलान के दादा लादू जो अनपढ व्यक्ति होने के कथन दावा करने की गरज से झूठे आयत किये गये है। जबकि जागीर पुर्नग्रहरण अधिनियम 1952 के वक्त वादग्रस्त भूमि पर गैरसायलान के पूर्वज घीसा उर्फ लादु पुत्र गोदा एवं उदा पुत्र सादूल बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज थे। इस प्रकार से खुदकाश्त के आधार पर जरिय नामान्तरकरण संख्या 162 के तहत जमाबन्दी खतौनी संवत 2018-2021 में गैरसायलान के पूर्वज घीसा वल्द गोदा एवं उदा पुत्र सदुल का नाम दर्ज की गई। उक्त जमाबन्दी खतौनी में 1/2 हिस्सा उदा वल्द सादूल का इन्द्राज सही होने व घीसा पुत्र गोदा का इन्द्राज जमाबन्दी में गलत रूप से करने के कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। तत्कालीन सरपंच हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक आर.आई. ने बाद जांच राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान व अन्य के पूर्वज का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार से नामान्तरकरण संख्या 162 के जरिये की गई प्रविष्टियों को गलत इन्द्राज बताना कतई गलत है। इस प्रकार से इस भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार घीसा वल्द गोदा के फौत होने पर भंवरु वल्द घीसा का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त भूमि के अन्य सह खातेदार काश्तकार उदा पुत्र सादुल के कायम मुकाम ओगड़राम, पांचाराम पिसरान बालाराम, सुगनीदेवी पत्नी

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

बालाराम को वाद पक्षकार बनाये बिना यह प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। वादग्रस्त भूमि में से 01-00 बीघा भूमि ग्राम पंचायत रास को राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला के लिए दान में दी गई, इसलिए ग्राम पंचायत को भी वाद पक्षकार बनाये बिना यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। वादग्रस्त आराजी से सायलान जन्म से आउट ऑफ पजेशन है इसलिए बेदखली कब्जा प्राप्ति के बगैर अनुतोष के यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें। सायलान ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि व ग्राम पंचायत द्वारा इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किये गये नामान्तरकरण संख्या 162 के सम्बन्ध में बिना किसी प्रकार का अनुतोष चाहे ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। सायलान ने गैरसायलान के पूर्वज घीसा उर्फ लादु पुत्र गोदा जाति-गुर्जर निवासी निम्बेटी में से केवल लादू वल्द गोदा का राजस्व रेकर्ड में अंकन होने मात्र से ही यह कार्यवाही की है जबकि घीसा उर्फ लादू पुत्र गोदा एवं लादू पुत्र गोदा जाति गुर्जर निवासी-निम्बेटी एक ही व्यक्ति है तथा सायलान के पूर्वज अन्य है इसके बावजूद भी सायलान ने निराधार कार्यवाही की है। जो असत्य होने से काबिल खारिज के है। जो खारिज कि जावे।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं:-

1-प्रथमदृष्ट्या मामला :- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथमदृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करनें का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथमदृष्टतया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों एवं वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम-रास द्वितीय के खसरा नंबर 2629 रकबा 17-02 बीघा किस्म चाही सोयम का जमाबंदी 2018-2021 में उक्त खसरे के 1/2 भाग पर बहादुरसिंह वल्द नाथुसिंह तथा एक प्रविष्टि लादू वल्द गोदा के नाम से हो रखी है। खतौनी बंदोबस्त 2011-2030 में उपभोक्ता के रूप में उक्त खसरे में बहादुरसिंह वल्द नाथुसिंह के खुदकाश्त में 1/2 एवं लादू वल्द गोदा के 1/2 भाग में उपभोक्ता के रूप में प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार नामांतरण संख्या 162 की प्रविष्टि में गत जमाबंदी के कॉलम में खुदकाश्त 1/2 एवं लादू वल्द गोदा का नाम दर्ज है। इसी नामांतरकरण की नई प्रविष्टि में उदा पुत्र सदूल एवं घीसा वल्द गोदा का नाम दर्ज है। अग्रिम

सहायक कलक्टर/पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

जमाबंदियों में उक्त 2629 खसरे में 2020-23, 2024-27, 2028-2031 उदा वल्द सदूल हिस्सा 1/2 एवं भंवरू वल्द घीसा हिस्सा 1/2, 2032-35, 2036-2039, 2041-2044, 2045-2049, 2050-2053, 2054-2057 में बाला वल्द उदा 1/2 एवं भंवरू वल्द घीसा 1/2 दर्ज है। पश्चातवर्ती जमाबंदियों में बाला वल्द उदा 1/2 एवं भवंरू वल्द घीसा 1/2 के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इस प्रकार उपर्युक्त जमाबंदी चौसालों के विवरण से स्पष्ट है कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011-30, जमाबंदी 2018-21 तथा खसरा गिरदावरी 2014-2017 में उपकृषक के रूप में खुदकाश्त 1/2 तथा लादु वल्द गोदा की प्रविष्टि अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2629 में लादू वल्द गोदा द्वारा उपकृषक/उपभोक्ता के रूप में काश्त की गई थी। पश्चातवर्ती भू-अभिलेखों में लादू वल्द गोदा के स्थान पर घीसा वल्द गोदा प्रविष्टि दर्ज है। एवं उसके बाद घीसा के वारिसान के नाम दर्ज है।

अतः वादग्रस्त आराजी के प्रकरण में प्रार्थीगण लादू वल्द गोदा के वारिसान होना बता रहे हैं साथ ही अप्रार्थीगण का उक्त कथन कि घीसा एवं लादू एक ही व्यक्ति है न कि अलग-अलग। उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है, जो मूल वाद में निर्णित होगा।

वादी के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक दावा किया है। वादीगण द्वारा लादु वल्द गोदा के वारिसान की हैसियत से दावा किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त 2011-2030 में लादू वल्द गोदा तथा जमाबंदी संवत 2018-21 में भी लादू वल्द गोदा का अंकन है। तथा आगामी जमाबंदियों में लादू वल द गोदा एवं उनके वारिसान का नाम विलोपित हो जाता है तथा घीसा वल्द गोदा का नाम आगामी जमाबंदियों में अंकित है जो वर्तमान में बदस्तूर है। अप्रार्थीगण घीसा वल्द गोदा के वारिसान है तथा इनका कथन है कि घीसा वल्द गोदा, लादू वल्द गोदा एक ही व्यक्ति है जबकी प्रार्थीगण का कथन है कि घीसा एवं लादू दोनों पृथक्-पृथक् है। यह विषय साक्ष्य से मूल वाद में निर्धारित होगा, परन्तु चूंकि वादग्रस्त आराजी के आरम्भिक अभिलेखों में वादीगण के पूर्वज लादू वल्द गोदा का नाम दर्ज है अतः प्रथमदृष्ट्या ममला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

अतः भू-अभिलेखों की पूर्ववर्ती प्रविष्टियों के आधार पर प्रथमदृष्टतया मामला बनना सिद्ध होता है। अतः प्रथमदृष्ट्या अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे है।

2-सुविधा का संतुलन :- अस्थाई आदेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में साबित हो चुका है वहीं वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी में लादू वल्द गोदा का नाम अंकित है तथा प्रार्थीगण द्वारा कब्जा-काश्त संबंधित तथ्य शपथपत्र द्वारा कथित किये है वहीं

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त कथन को ना साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

3–अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हो चुका है वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी की खतौनी 2011–30 एवं जमाबंदी सवंत 2018–21 में वादीगण के पूर्वज लादू वल्द गोदा के नाम दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है वहीं अप्रार्थीगण एक तरफ तो यह कथन करते है कि लादू वल्द गोदा एवं घीसा वल्द गोदा एक ही व्यक्ति है तथा वे उनके वारिसान है वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि जब लादू वल्द गोदा तथा घीसा वल्द गोदा एक ही व्यक्ति थे तो उनके वारिसान भिन्न–भिन्न कैसे हो सकते हैं। साथ ही जब दोनों एक ही थे तो जमाबंदी संवत 2018–21 में घीसा वल्द गोदा के नाम से नामांतरण क्यों स्वीकृत किया गया इस बाबत अप्रार्थीगण के कोई कथन नहीं किया है।

वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम खाते दर्ज है तथा हमारा यह विनम्र अभिमत है कि यदि प्रकरण में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया गया तो वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों के प्रविष्टि के आधार पर हस्तांतरण की पूर्ण संभावना रहेगी तथा जिससे वाद में अनावश्यक जटिलता उपस्थित हो सकती है। जिसकी क्षति प्रत्यक्ष रूप से वादीगण/प्रार्थीगण को होनी है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि यह बिन्दू भी वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि वे ग्राम– रास द्वितीय, पटवार हल्का– रास द्वितीय, तहसील– जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 2629 रकबा 16–02 बीघा किस्म– चाही चारम की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.26 10:55:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: